कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रेस विज्ञप्ति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा वितरित की जाने वाली सेन्ट्रल सेक्टर स्कालरशिप स्कीम अंतर्गत, मण्डल कार्यालय में छात्रवृत्ति सत्र 2009–10 के लिए आवेदन पत्र जमा करने हेतु पूर्व में अंतिम तिथि दिनांक 30 सितम्बर–2009 निश्चित की गई थी, किन्तु प्रदेश स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए मण्डल कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि 30 नवम्बर–2009 तक बढ़ाई जाती है। छात्रवृत्ति सत्र 2009–10 हेतु प्रारंभिक रूप से चयनित ऐसे सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने मण्डल की हा.से. परीक्षा 2009 में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, संस्था प्राचार्यों के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है।

सत्र 2008–09 में जिन विद्यार्थियों को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति आवंटित की गई थी उन सभी विद्यार्थियों को भी सत्र 2009–10 के नवीनीकरण प्रारूप, मण्डल द्वारा प्रेषित किये जा चुके है। पूर्व प्रसारित निर्देश के तहत मण्डल कार्यालय में नवीनीकरण प्रारूप जमा करने हेतु अंतिम तिथि 30 सितम्बर–2009 निश्चित की गई थी। प्रदेश स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में बी.ई. द्वितीय सेमीस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न हो पाने के कारण यह तिथि विचारोपरान्त 30 नवम्बर–2009 की जाती है।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र एवं नवीनीकरण का प्रारूप मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / /विद्यो. / 2009 भोपाल, दिनांक

प्रति,

इनटाइटिलमेंट नंबर

....

....

....

....

विषयः– सत्र 2009–10 सेन्ट्रल सेक्टर छात्रवृत्ति के नवीनीकरण विषयक।

—//—

उपरोक्त विषय में लेख है कि सेन्ट्रल सेक्टर स्कालरशिप स्कीम के तहत आपको सत्र 2008–09 में चयनित किया गया था।

2. सत्र 2008–09 की छात्रवृत्ति राशि रू. 10000/– आपके बैंक खाते में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। कृपया आपके खाते में राशि प्राप्त होने पर जानकारी प्रेषित करें।

3. सत्र 2009–10 हेतु छात्रवृत्ति की राशि का नवीनीकरण किया जाना है। नवीनीकरण उपरांत सत्र 2009–10 हेतु प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि आपके द्वारा पूर्व में प्रेषित बैंक खाते में ही हस्तान्तरित की जावेगी। छात्रवृत्ति का नवीनीकरण निम्न शर्तों के आधार पर किया जावेगा–

(i) आवेदक ने सत्र 2008–09 में, स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा नियमित रूप से प्रथम श्रेणी या 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(ii) सत्र 2009–10 में आवेदक स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।

(iii) सत्र 2008–09 में विद्यार्थी ने प्रथम वर्ष की कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति दर्ज की हो साथ ही वह रैंगिक या अन्य किसी भी गतिविधि में संलिप्त न पाया गया हो जो अनुशासनहीनता के दायरे में आती हो।

अतः इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में चाही गई जानकारी पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर, संस्था प्रधान की सील सहित हस्ताक्षर करावाकर, अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के पते पर दिनांक 30 सितम्बर–2009 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण या अस्पष्ट रूप से भरे गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

(डॉ. आर.एस. शर्मा)
संचालक, विद्यो.

पता–
संचालक, विद्यो.
विद्योचित कक्ष
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल

GOVERNMENT OF INDIA (MHRD)
CENTRAL SECTOR SCHEME OF SCHOLARSHIP FOR COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENTS

इनटाइटिलमेंट नंबर

सत्र 2009–10 छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु संस्था का प्रमाणीकरण

विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत् महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित व मुद्रांकित नवीनतम रंगीन आवक्ष चित्र लगायें।

1	1. अभ्यर्थी का नाम प्रमाण पत्र के अनुसार	
2	वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय/वि.वि. का नाम एवं पता जहां से आवेदक स्नातक कोर्स में अध्ययनरत् है	
3	अध्ययनरत कोर्स का नाम	
4	सत्र 2008–09 की स्नातक प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल, एवं प्राप्त अंकों का प्रतिशत (अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	**परिक्षाफल**.......................**श्रेणी**...................... **कुल अंक**..................**प्राप्तांक**............................ **प्रतिशत**.............................
5	आवेदक का पत्र व्यवहार का पता पिनकोड एवं दूरभाष नं. सहित।	

14. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. ....(छात्र/छात्रा का पूरा नाम) आत्मज/आत्मजा ....इस महाविद्यालय/वि.वि. का नियमित विद्यार्थी है। इन्होंने सत्र 2008–09 की स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रथम श्रेणी में 60 प्रतिशत या इससे अधि अंकों के साथ उत्तीर्ण की है एवं इन्हें सत्र 2009–10 हेतु द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया गया है। विगत सत्र 2008–09 के दौरान कक्षा में इनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक रही है तथा ये रैगिंग या अन्य किसी भी मामले में अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं पाए गए।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्राचार्य
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की मुद्रा एवं सम्पूर्ण पता एस.टी.डी. कोड सहित दूरभाष नं.